प्रश्न 1नैराश्य (असंभवता) के सिद्धान्त की प्रमुख वादों की सहायता से विवेचना कीजिए

Ans**पालन की असम्भवता की स्थिति में उन्मोचन विफलता या व्यर्थता का सिद्धान्त**

(Doctrine of Frustration)

(धारा-56) धारा 56 संविदा पालन की असम्भवता से सम्बन्धित है। संविदा-पालन की असम्भवता संविदा के उन्मोचन का एक ढंग है। जब संविदा का पालन करना असम्भव हो जाता है तो वह शून्य हो जाती है और संविदा के पक्षकार उसके पालन के दायित्व से मुक्त हो जाते हैं।

धारा 56 का पालन के असम्भवता से सम्बन्धित है। संविदा-पालन की असम्भवता संविदा के उन्मोचन का एक ढंग है। जब संविदा का पालन करना असम्भव हो जाता है तो वह शून्य हो जाती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जिस समय संविदा का निर्माण होता है , उसी समय उसका पालन करना असम्भव होता है। उदाहरण के लिए क, ख के साथ करार करता है कि वह किसी मृतक व्यक्ति को जीवित कर देगा। मृतक व्यक्ति को जीवित करना असम्भव कार्य है। जब पालन करना उसके निर्माण के समय से ही असम्भव है तो प्रारम्भिक असम्भवता (initial impossibility) कहते हैं। वास्तव में ऐसी स्थिति में करार करते समय पक्षकारों का उद्देश्य असम्भव कार्य को करने का होने के कारण करार संविदा तक पहुँचता ही नहीं है और परिणामस्वरूप यह कहना बेहतर होगा कि ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकार द्वारा किया गया करार शून्य होता है। धारा 56 का प्रथम पैराग्राफ प्रारम्भिक असम्भवता से सम्बन्धित है।

दूसरी स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि संविदा का पालन उसके निर्माण के समय तो सम्भव हो, परन्तु बाद में कुछ ऐसी घटनायें घटित हो जाती हैं जिससे कि उसका पालन असम्भव या अवैध हो जाता है। इस पश्चातवर्ती असम्भवता (subsequent impossibility) कहते हैं। ऐसी स्थिति में भी संविदा शून्य होती है। उदाहरण के लिए क और ख परस्पर विवाह की संविदा करते हैं और विवाह के

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

लिए निश्चित समय से पूर्व क पागल हो जाता है। संविदा शून्य होगी। इस स्थिति में संविदा के समय दोनों पक्षकार स्वस्थ चित्त के थे और संविदा विधिमान्य थी, परन्तु बाद में क के पागल हो जाने के कारण संविदा शून्य हो गई।

धारा 56 के उपबन्धों की व्याख्या निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत की जा सकती है

1. प्रारम्भिक असम्भवता धारा 56 का प्रथम पैराग्राफ प्रारमिक असम्भवता से सम्बन्धित है। इस पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि असम्भवता कार्य करने का करार शून्य होता है। धारा 56 से संलग्न दृष्टान्त (क) से स्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। दृष्टान्त (क) में दिया गया है कि यदि 'क' ख के साथ जादू से गुप्त निधि खोजने का करार करता है तो यह करार शून्य होगा।

यह उल्लेखनीय है कि 'असम्भवता' से तात्पर्य केवल भौतिक असम्भवता से नहीं है बल्कि इस शब्द के अन्तर्गत विधिक असम्भव भी सम्मिलित है। इस प्रकार यदि किसी कार्य को करना भौतिक दृष्टि से सम्भव भी हो परन्तु उसका किया जाना विधि-विरुद्ध हो, तो ऐसी स्थिति में भी यह माना जायेगा कि उस कार्य का किया जाना सम्भव नहीं और करार शून्य होगा। उदाहरण के लिए क जो पहले से ही 'ग' से विवाहित है और जिस विधि के वह अध्यधीन है उसके द्वारा एक से अधिक पत्नी रखना अर्थात् बहुपत्नीत्व निषिद्ध है , ख से विवाह करने की संविदा करता है। यह संविदा प्रारम्भ से ही शून्य है।

यहाँ धारा 56 के पैरा 3 का भी उल्लेख करना उपयुक्त है। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी बात को करने की प्रतिज्ञा करता है जिसका असम्भव या विधि-विरुद्ध होना वह जानता था या युक्तियुक्त तत्परता से जान सकता था और प्रतिज्ञाग्रहीता नहीं जानता था , तो ऐसी स्थिति में ऐसे वचनग्रहीता को उक्त वचन के अपालन के कारण होने वाली हानि के लिए वचनदाता प्रतिकर देने के लिए दायी होगा। धारा 56 का दृष्टान्त (ग) इस बिन्दु पर उल्लेखनीय है। क, जो पहले से ही विवाहित है और वह जिस विधि के अध्यधीन है , उस विधि द्वारा

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

बहुपत्नीत्व निषिद्ध है , ख से विवाह करने की संविदा करता है। संविदा विधि-विरुद्ध है और शून्य है , परन्तु क की प्रतिज्ञा के अपालन से ख को हुई हानि के लिए क को प्रतिकर देना पड़ेगा। इंग्लैण्ड में भी स्पष्ट रूप से असम्भव कार्य करने का करार शून्य होता है ; परन्तु इसका कारण यह है कि इसके लिए वास्तविक प्रतिफल नहीं होता है।।

II.पश्चातवर्ती असम्भवता विफलता (व्यर्थता) का सिद्धान्त (Doctrine of Frustration) अर्थ और शर्ते - धारा 56 का द्वितीय पैराग्राफ पश्चात्वर्ती असम्भवता से सम्बन्धित है। पश्चात्वर्ती असम्भवता से तात्पर्य ऐसी असम्भवता से है जो संविदा के निर्माण की तिथि के बाद उत्पन्न होती है। यदि ऐसी संविदा की जाती है जिसका पालन करना उसके निर्माण के समय तो सम्भव होता है परन्तु तत्पश्चात् उसका पालन करना असम्भव हो जाता है अथवा , किसी ऐसी घटना के कारण जिसका निवारण प्रतिज्ञाकर्ता नहीं कर सकता है, विधि, विरुद्ध हो जाती है तो संविदा समय शून्य हो जाती है जबकि उसका पालन करना असम्भव या विधिविरुद्ध होता है। इसे पश्चातवर्ती असम्भवता (Subsequent impossibility) कहते हैं। धारा 56 का दृष्टान्त (ख) से स्थिति स्पष्ट हो जाती है। क और ख आपस में विवाह करते हैं और विवाह के लिए नियत समय से पूर्व क पागल हो जाता है। ऐसी स्थिति में संविदा शून्य हो जाएगी। यह उल्लेखनीय है कि उक्त स्थिति मेंविवाह के समय तो पक्षकारक (क और ख) स्वस्थ चित्त के हैं , परन्तु संविदा करने के बाद परन्तु संविदा के निष्पादन से पूर्व अर्थात् संविदा के निर्माण के बाद परन्तु विवाह के लिए नियत तिथि से पूर्व उनमें से एक (इस उदाहरण में क) के पागल हो जाने के कारण संविदा शून्य हो जाती है। यदि विवाह की तिथि पर ही उनमें से कोई एक पागल होता तो वास्तव में विधिमान्य संविदा का निर्माण ही न होता क्योंकि विधिमान्य संविदा के लिए संविदा के पक्षकारों को स्वस्थ चित्ति का होना चाहिए।

यह उल्लेखनीय है कि विफलता या व्यर्थता (नैराश्य) का सिद्धान्त धारा 56 के प्रथम पैरा में नहीं बल्कि द्वितीय पैरा में सन्निहित है। ।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविदा के सामान्य सिद्धांत

ग्वालियर रेयॉन सिल्क मैन्युफैक्चरिंग (बीविंग) कं० बनाम श्री **अन्दावर एण्ड कं०**के वाद में न्यायालय ने धारा 56 के अन्तर्गत नैराश्य के सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुए मत व्यक्त किया है कि जो पक्षकार संविदा को नैराश्य के आधार पर शून्य ठहराना चाहता है, उसे यह सिद्ध करना पड़ेगा कि

(i) संविदा का पालन असम्भव हो गया है;

(ii) पालन का असम्भव होना ऐसी घटना के कारण नहीं है जिसे प्रतिज्ञाकर्ता रोक सकता था अथवा जिसका वह पूर्वानुमान कर सकता था; और

(iii) असम्भवता प्रतिज्ञाकर्ता द्वारा स्वप्रेरित नहीं है अथवा उसके उपेक्षा के कारण पालन असम्भव नहीं हुआ है। न्यायालय के अनुसार धारा 56 से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि प्रतिज्ञाकर्ता को संविदा के समय इस बात की जानकारी थी अथवा युक्तियुक्त तत्परता या उद्यम से उसे जानकारी हो सकती थी कि प्रतिज्ञा का पालन असम्भव था या विधि-विरुद्ध था

और प्रतिज्ञा-ग्रहीता को इसके असम्भव होने या विधि-विरुद्ध होने की जानकारी नहीं थी, तो ऐसे प्रतिज्ञाकर्ता को पालन न किए जाने के कारण प्रतिज्ञाग्रहीता को होने वाली हानि के लिए प्रतिकर देना होगा। ____पश्चात्वर्ती असम्भवता के आधार पर संविदा शून्य घोषित करने के लिए निम्नलिखित शर्ते पूरी होनी चाहिए

(क) पक्षकारों के मध्य विधिमान्य संविदा होनी चाहिए;

(ख) संविदा निष्पाद्य (executory) होनी चाहिए अर्थात् संविदा के किसी भाग का निष्पादन करना बाकी होना चाहिए; तथा

(ग) संविदा करने के पश्चात् उसका निष्पादन करना असम्भव होना चाहिए अथवा किसी ऐसी घटना के कारण जिसको प्रतिज्ञाकर्ता रोक नहीं सकता था , विधि-विरुद्ध होना चाहिए।

'असम्भवता'-इसका विस्तार- यह उल्लेखनीय है कि 'असम्भवता (impossibility)' शब्द के अन्तर्गत केवल भौतिक या शाब्दिक असम्भवता ही सम्मिलित नहीं है और इस प्रकार यदि किसी कार्य का किया जाना शाब्दिक अर्थ में सम्भव है

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

परन्तु पक्षकारों के उद्देश्यों को देखते हुये उसका किय जाना व्यर्थ या अव्यावहारिक है तो यह माना जाएगा कि वचनदाता के लिए उसका किया जाना असम्भव हो गया है और वचनदाता उस कार्य को करने से मुक्त हो जायेगा। इस प्रकार यदि संविदा किए जाने के बाद कुछ घटनाओं के घटित होने या परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण पक्षकारों के सौदे का आधार नष्ट हो जाता है और संविदा की जड़ें हिल जाती हैं तथा संविदा के पालन करने पर संविदा के पक्षकारों के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि वचनदाता के लिए उस संविदा का पालन करना असम्भव हो गया है और उसे उस संविदा के पालन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जब संविदा के पक्षकार के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती है तो संविदा का पालन व्यर्थ हो जाता है और पक्षकार संविदा पालन के दायित्व से मुक्त होजाते हैं।

Pgs National College of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

प्रश्न 2 संविदा भंग की दशा में संविदा के पक्षकार को प्राप्त होने वाले उपचारो को स्पष्ट कीजिए

Ans**संविदा-भंग के लिए उपचार**

जब एक पक्षकार संविदा-भंग करता है तो दूसरे पक्षकार को निम्नलिखित अधिकार सुलभ होते हैं :

1. संविदा का विशिष्ट पालन और व्यादेश (Injunction) :कतिपय दशाओं में न्यायालय विशिष्ट अनुतोष अधिनियम , 1963 (specific relief act, 1963) के अन्तर्गत संविदा के विशिष्ट पालन का आदेश या संविदा-भंग को रोकने के लिये व्यादेश (injunction) दे सकता है। संविदा के विशिष्ट पालन का आदेश देना या भंग रोकने के लिये व्यादेश देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है , यद्यपि न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेक का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं बल्कि युक्तियुक्त रूप से न्यायिक सिद्धान्तों के अनुसार करेगा। संविदा के विशिष्ट पालन और व्यादेश का उपबन्ध विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 में मिलता है।

II. क्वाण्टम मेरियट (Quantum Meruit) _क्वाण्टम मेरियट का अर्थ है , किये गये कार्य के लिए युक्तियुक्त पारिश्रमिक की देनगी। सामान्य नियम यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी धन के बदले में कोई कार्य या सेवा करने की प्रतिज्ञा करता है तो ऐसी स्थिति में उस कार्य या सेवा को पूरा किये बिना धन की माँग नहीं कर सकता है अर्थात् वह उक्त कार्य या सेवा का कुछ भाग करके उसके लिये पारिश्रमिक या प्रतिकर की माँग नहीं कर सकता है। क्वाण्टम मेरियट का सिद्धान्त इस सामान्य नियम का अपवाद है। यदि एक पक्षकार कोई कार्य करने की प्रतिज्ञा करता है परन्तु दसरा पक्षकार उसे अपना कार्य पूरा करने से रोकता है तो ऐसी स्थिति में वह उक्त दूसरे पक्षकार से किये गये कार्य के लिये युक्तियुक्त पारिश्रमिक की माँग कर सकता है। जब एक पक्षकार संविदा का पालन करने से पूर्ण रूप से इन्कार कर देता है या संविदा का पालन करने में अपने को अयोग्य बना लेता है तो दूसरा पक्षकार चाहे तो संविदा-भंग के लिये

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

वाद चला सकता है या संविदा को अपखण्डित करके क्वाण्टम मेरियट के आधार पर वास्तव में किये गये कार्य के लिये युक्तियुक्त पारिश्रमिक या प्रतिकर के लिए वाद चला सकता है। 4 अंग्रेजी विधि में विकसित क्वाण्टम मेरियट का सिद्धान्त भारत में भी लागू किया जाता है।

क्वाण्टम मेरियट के आधार पर दावा कई दशाओं में किया जा सकता है। जिन दशाओं में क्वाण्टम मेरियट के आधार पर दावा किया जा सकता है वे इस प्रकार हैं :

1. जब संविदा का एक पक्षकार संविदा-भंग करता है अथवा दूसरे पक्षकार को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने से रोकता है। जब संविदा का एक पक्षकार संविदा भंग करता है अथवा संविदा-पालन करने में अपने को अयोग्य बना लेता है अथवा दूसरे पक्षकार को अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने से रोकता है तो दूसरा पक्षकार संविदा को समाप्त मान कर किए गए कार्य के लिए युक्तियुक्त पारिश्रमिक की माँग कर सकता है।

ऐसी दशा में क्वाण्टम मेरियट के आधार पर दावा करने के लिये निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है :

(i) संविदा के एक पक्षकार ने संविदा के अन्तर्गत कुछ कार्य कर दिया है अर्थात् संविदा के एक पक्षकार ने संविदा के कुछ भाग का पालन कर दिया है।

(ii) संविदा का दूसरा पक्षकारसंविदा का पालन करने से पूर्ण रूप से इन्कार कर देता है या संविदा का पालन करने में अपने को अयोग्य बना लेता है या दूसरा पक्षकार पहले पक्षकार को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने से रोकता है।

(iii) पहला पक्षकार जिसने संविदा के कुछ भाग का पालन किया है , वह दूसरे पक्षकार द्वारा संविदा-भंग किये जाने पर संविदा के पालन से अपने को मुक्त करने का निर्णय लेता है अर्थात् संविदा को अपखण्डित करने या समाप्त मानने का निर्णय लेता है और किये गये कार्य के लिये युक्तियुक्त पारिश्रमिक हेतु कार्यवाही करता है। । उदाहरण के लिये **क, ख** को 30 किलो चीनी देने की संविदा करता है। जब **क, ख** को 20 किलो चीनी दे देता है तो **ख** आगे चीनी

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

लेने से इन्कार कर देता है। **क, ख** से दी गई 20 किलो चीनी की कीमत वसूल कर सकता है।

इसी प्रकार यदि प्रतिवादी वादी से अपनी पत्रिका में प्रकाशित करने के लिये कोई लेख लिखने की संविदा करता है और जब वादी कुछ लिख लेता है तो प्रतिवादी अपनी पत्रिका का प्रकाशन बन्द कर देता है। ऐसी स्थिति में वादी किये गये कार्य के लिये युक्तियुक्त पारिश्रमिक वसूल कर सकता है।यह उल्लेखनीय है कि क्वाण्टम मेरियट के आधार पर वह पक्षकार दावा नहीं कर सकता है जो स्वयं संविदा-भंग करता है। अतः यदि कोई पक्षकार संविदा के कुछ भाग का पालन करने के बाद आगे पालन करने से इन्कार कर देता है या पालन करने में अपने को अयोग्य बना लेता है तो जितना कार्य उसने किया है उसके लिये दूसरे पक्षकार से युक्तियुक्त पारिश्रमिक का मुआवजा वसूल नहीं कर सकता है।

(2) संविदा के अन्तर्गत मूल्य अथवा पारिश्रमिक विहित न होने की दशा में क्वाण्ट मेरियट का अनुतोष वहाँ भी अनुज्ञात किया जाता है जहाँ संविदा के अनुसरण में माल की आपूर्ति की जाती है अथवा कार्य किया जाता है और करार के अन्तर्गत मूल्य अथवा पारिश्रमिक नियत नहीं होता है। ऐसी दशा में क्वाण्टम मेरियट के आधार पर युक्तियुक्त मूल्य अथवा युक्तियुक्त पारिश्रमिक दिया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि यदि प्रवर्तनीय संविदा विद्यमान है और दिए गए माल या किए गए कार्य के लिए मूल्य या पारिश्रमिक संविदा के अन्तर्गत विहित है तो ऐसी दशा में क्वाण्टम मेरियट के आधार पर नहीं बल्कि संविदा के अनुसार मूल्य अथवा पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा 4

(3) शून्य करार या संविदा की दशा में : यदि विधिमान्य संविदा के लिए विहित आवश्यक शर्तों की पूर्ति न होने के कारण प्रवर्तनीय संविदा का निर्माण नहीं होता है अर्थात् शून्य संविदा उत्पन्न होती है तो ऐसी दशा में किए गए कार्य के लिए क्वाण्टम मेरियट के आधार पर, युक्तियुक्त पारिश्रमिक के लिए दावा किया जा सकता है। क्वाण्टम मेरियट अर्थात् युक्तियुक्त पारिश्रमिक अथवा मूल्य प्राप्त करने का अधिकार विधि द्वारा दिया जाता है और इसे प्रदान करने के

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

लिए किसी संविदा की आवश्यकता नहीं होती है। क्वाण्टम मेरियट का उपचार संविदा कल्प उपचार (quasi-contractual remedy) है । इस उपचार का आधार

• संविदा नहीं है। परिणामस्वरूप शून्य करार के अन्तर्गत किए गए कार्य के लिए भी युक्तियुक्त पारिश्रमिक की माँग की जा सकती है। उदाहरण के लिए , एक वाद! में वादी को कम्पनी का प्रबन्ध-निदेशक नियुक्त किया गया। उसे अपने कार्यों के लिए पारिश्रमिक मिलता था। उसकी नियुक्ति जिन निदेशकों द्वारा की गई थी, वे नियत समय में योग्यता अंश न लेने के कारण संगम-अनुच्छेद के अनुसार निदेशक के रूप में कार्य करने में अक्षम थे। परिणामस्वरूप जिन निदेशकों ने उसकी नियुक्ति की वे योग्यता अंश नियत समय के अन्दर न लेने के कारण कार्य करने में अक्षम थे। वादी प्रबन्ध-निदेशक के रूप में जितने समय तक कार्य कर चुका था, उसके लिए क्वाण्टम मेरियट के आधार पर युक्तियुक्त पारिश्रमिक प्रास करने का हकदार ठहराया गया। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि नियुक्ति सम्बन्धी संविदा शून्य थी और उसके आधार पर पारिश्रमिक की माँग नहीं की जा सकती थी , परन्त जितने समय तक वादी ने प्रबन्ध-निदेशक के रूप में कार्य किया था , उसके लिए वह क्वाण्टम मेरियट के सिद्धान्त के आधार पर युक्तियुक्त पारिश्रमिक प्राप्त कर सकता था। . इसी प्रकार यदि आशयित संविदा के अन्तर्गत सरकार को सेवायें या वस्तुयें प्रदान की जाती हैं और भारतीय संविदा के अनुच्छेद 299 की औपचारिकता पूरी न होने के कारण संविदा शून्य हो जाती है तो सेवायें या वस्तुयें प्रदान करने वाला व्यक्ति सरकार से युक्तियुक्त पारिश्रमिक अथवा युक्तियुक्त मूल्य वसूल कर सकता है।

(4) जब संविदा शुन्य हो जाती है : जब निर्माण के समय संविदा विधिमान्य एवं प्रवर्तनीय होती है परन्तु बाद में किसी ऐसी घटना के घटित होने के कारण जिसे प्रतिज्ञाकर्ता रोक नहीं सकता था , संविदा का पालन असम्भव हो जाता है अथवा विधिविरुद्ध हो जाता है तो नैराश्य के सिद्धान्त (Doctrine of frustration) के आधार पर संविदा शून्य हो जाती है और पक्षकार संविदा पालन के दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। परन्तु संविदा के विफल या व्यर्थ होने के पूर्व यदि कोई धन दिया गया है तो धन देने वाला पक्षकार इसे वसूल कर सकता है। जब

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविदा नैराश्य के आधार पर शून्य हो जाती है तो जिस व्यक्ति ने इसके शुन्य होने के पूर्व इसके अन्तर्गत कोई लाभ प्राप्त किया है. उसे वह लाभ उस व्यक्ति को जिससे प्राप्त किया है , वापस करना पड़ेगा या उसके लिए प्रतिकर देना पड़ेगा। २ **(5) संविदा का पालन दोषपूर्ण होने की दशा में :** यदि संविदा का पालन तो किया गया है परन्तु पालन में कुछ दोष है तो संविदा में विहित धन वसूल किया जा सकता है परन्तु उसमें से वह धन घटा दिया जाएगा जो उस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए क ख के भवन की मरम्मत 15,000 रु० के लिए करने की संविदा करता है। वह मरम्मत तो करता है परन्तु वह संविदा के अनुरूप नहीं है बल्कि उसमें कुछ दोष है। दोष दूर करने में 5,000 रु० खर्च होता है। क (15,000 रु० -5,000 रु०) 10,000 रु० । ख वसूल कर सकता है।

प्रश्न 3 उन विभिन्न ढंगों की व्याख्या कीजिये दृष्टदान्त दीजिये जिनमे एक संविदा का उन्मोचन हो सकता है

Ans संविदा-भंग द्वारा उन्मोचन (समय-पूर्व संविदा-भंग (Anticipatory Breach of Contract)जब संविदा का एक पक्षकार संविदा का पालन नहीं करता है जबकि विधि के अन्तर्गत वह उसका पालन करने के लिए बाध्य है तो दूसरा पक्षकार भी उस संविदा के पालन के दायित्व से मुक्त हो जाता है और वह संविदा-भंग के कारण होने वाली हानि के लिये संविदा-भंग करने वाले पक्षकार से प्रतिकर वसूल कर सकता है। संविदा-भंग भी संविदा के उन्मोचन का एक ढंग होता है। धारा 39 के अनुसार जब संविदा का एक पक्षकार अपनी पूरी प्रतिज्ञा का पालन करने से इन्कार कर देता है या अपनी पूरी प्रतिज्ञा का पालन करने में अपने को निर्योग्य बना देता है तो दूसरा पक्षकार, जब तक उसने उसको चालू रखने की शब्दों द्वारा या आचरण द्वारा उपमति (acgiescence) संज्ञात न कर दी हो, संविदा का अन्त कर सकता है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविदा के सामान्य सिद्धांत

वास्तव में संविदा-भंग दो प्रकार का होता है(1) पालन के समय संविदा-भंग या वास्तविक या वर्तमान संविदा-भंग , (2) समयपूर्व संविदा-भंग (anticipatory breach of contract)।

(1) पालन के समय संविदा-भंग का वास्तविक या वर्तमान संविदा-भंग : जब संविदा का पक्षकार पालन के लिये नियत समय पर पालन न करके भंग करता है तो उसे पालन के समय भंग या वास्तविक या वर्तमान भंग कहते हैं।

(2) समय पूर्व संविदा-भंग (Anticipatory breach of Contract) :जब संविदा का कोई पक्षकार संविदा पालन के लिये नियम समय से पूर्व ही संविदा का पूर्णरूपेण पालन करने से इन्कार कर देता है या संविदा का पूर्णरूपेण पालन करने में अपने को निर्योग्य बना लेता है तो इसे समय से पूर्व संविदा-भंग कहते हैं। उदाहरण के लिए क, ख को 26 जनवरी1987 को 80,000 रु० में मारुति कार देने की संविदा करता है परन्तु 5 जनवरी, 1987 को वह वही कार ग को बेच देता है। यहाँ पालन के समय से पूर्व (अर्थात् 26 जनवरी, 1987 से पूर्व) ही संविदा-भंग हो गया है। जब पालन के समय से पूर्व ही एक पक्षकार संविदा-भंग कर देता है या संविदा का पालन करने से इन्कार कर देता है या संविदा का पालन करने में अपने को निर्योग्य बना देता है तो दूसरा पक्षकार, जब तक उसने चालू रखने के शब्दों द्वारा या आचरण द्वारा उपमति संज्ञात न कर दी हो , संविदा का अन्त कर सकता है और उसके द्वारा भी संविदा का पालन किया जाना आवश्यक नहीं होगा और संविदा के पालन के लिए नियम समय का इन्तजार किये बिना वह तुरन्त क्षतिपूर्ति (प्रतिकर) के लिए वाद चला सकता है।। उदाहरण के लिए क , जो एक गायिका है , एक थियेटर के प्रबन्धक ख से अगले दो महीनों के दौरान में प्रत्येक सप्ताह में दो रात उसके थियेटर में गाने की संविदा करती है और ख उसे प्रत्येक रात के गायन के लिए 100 रु० देना तय करता है। छठी रात को क जानबूझ कर थियेटर से अनुपस्थित रहती है। ख संविदा का अन्त करने के लिए स्वतन्त्र है। परन्तु यदि छठी रात को क जानबूझ कर थियेटर से अनुपस्थित रहती है , परन्तु क की अनुमति से ख सातवीं रात को थियेटर में गाती है तो माना जायेगा कि ख ने संविदा को जारी

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

रखने के लिए अपनी उपमति संज्ञात कर दी है और अब ख संविदा का अन्त नहीं कर सकता है परन्तु छठीं रात को गाने में क की असफलता के कारण हुई हानि के लिये वह क से प्रतिकर वसूल करने का हकदार है। .... । समय से पूर्व संविदा-भंग के लिए यह आवश्यक है कि संविदा का पूर्णरूपेण पालन करने से इन्कार कर दिया जाय या उसके पूर्णरूपेण पालन करने में अपने को निर्योग्य बना लिया जाय।2 यदि ऐसा नहीं है तो निर्दोष पक्षकार संविदा को समाप्त नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए **रास बिहारी** बनाम **नृत्य गोपाल** के वाद में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से शक्कर क्रय करने के लिये अलग-अलग दो संविदायें की। पहली संविदा के अन्तर्गत दी गई शक्कर को क्रेता ने इन्कार कर दिया और इसलिये विक्रेता ने दोनों संविदाओं को समाप्त कर दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि विक्रेता ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि क्रेता ने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण रूप से इन्कार नहीं किया था।

सुल्तान चन्द बनाम **शीलर**के वाद में क्रेता और विक्रेता के मध्य एक संविदा हुई जिसके अनुसार विक्रेता को 200 टन अलसी का तेल क्रेता को अप्रैल और मई में देना थाऔर उसके मूल्य का भुगतान माल के परिदान पर किया जाना था। कुछ माल के परिदान के पश्चात् क्रेता ने मूल्य की रकम का कुछ भाग भुगतान कर दिया परन्तु शेष रकम का भुगतान हिसाब-किताब करने के आशय से रोक लिया। विक्रेता ने उसे समय पूर्व संविदा-भंग मानाऔर शेष माल देने से इन्कार कर दिया। क्रेता ने विक्रेता के विरुद्ध संविदा-भंग का वाद चलाया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि क्रेता ने सद्भावनापर्वक हिसाब-किताब करने के प्रयोजन हेतु शेष भुगतान को रोका था और इस कारण इसे संविदा-पालन से इन्कार कर देना नहीं माना जा सकता , अर्थात् उसे विक्रेता द्वारा समय पूर्व संविदा-भंग माना जाना ठीक नहीं था। क्रेता हिसाब-कितबा करने के बाद भुगतान करने को राजी नहीं था और इस प्रकार उसने संविदा-पालन से इन्कार नहीं किया था।

यदि संविदा का पालन किसी विशेष घटना के घटित होने पर आधारित है और घटना घटित होने से पहले ही प्रतिज्ञाकर्ता अपने को संविदा-पालन के अयोग्य असमर्थ बना लेता है

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

तो ऐसी स्थिति में भी संविदा भंग का वाद तुरन्त चलाया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक अंग्रेजी वाद फ्रास्ट ब० नाइटी में प्रतिवादी ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् वादी से विवाह करने की प्रतिज्ञा किया परन्तु पिता की मृत्यु से पूर्व ही अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने से इन्कार कर दिया। वादी ने तुरन्त संविदा-भंग के लिये वाद चलाया अर्थात् वादी ने प्रतिवादी के पिता की मृत्यु से पूर्व संविदा-भंग का वाद चलाया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि वादी को वाद लाने का पूर्ण अधिकार था। यदि संविदा का पालन किसी घटना के घटने पर आधारित है परन्तु प्रतिज्ञाकर्ता घटना घटित होने के पूर्व ही संविदा का पालन न करने की घोषणा कर देता है तो प्रतिज्ञाग्रहीता संविदा को समाप्त करके क्षतिपूर्ति के लिये वाद चला सकता है। यह उचित नहीं है कि निर्दोष पक्षकार घटना घटित होने तक प्रतीक्षा करे और तत्पश्चात् संविदा-भंग के कारण होने वाली हानि के लिये क्षतिपूर्ति का दावा करे।

Pgs National College of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.